भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5155
दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं को निधि

†5155. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय स्वायत्तता के विस्तार सहित राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं (3एफ) के प्रत्यायोजन का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण सहित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑनलाइन सेवा प्रदाय सहित ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत और डिजिटल बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का प्रत्यायोजन संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है।

पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रोद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की

प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है।

(ख) इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी शासन क्षमता को विकसित किया जाता है ताकि वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें और पंचायतों का प्रभावी ढंग से संचालन हो सके। संशोधित आरजीएसए के तहत 2022-23 से 2025-26 तक (28.02.2026 तक) प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या**
1	2022-23	42,02,293
2	2023-24	39,92,382
3	2024-25	35,54,942
4	2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)	35,65,409

(ग) यह मंत्रालय, आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर की 2,55,254 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अपलोड कीं हैं। इसी अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं ने ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹53,342 करोड़ का भुगतान किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पंचायतों की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार, 'पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग निधि के उपयोग के पारदर्शी ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। 2023-24 की ऑडिट अवधि के लिए 2,58,074 ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

मंत्रालय ने ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के सटीक और समय पर दस्तावेज़ीकरण में सहायता के लिए एआई-सक्षम वॉयस-टू-टेक्स्ट और बैठक सारांश मंच 'सभासार' भी शुरू किया है। यह मंच बहुभाषी प्रतिलेखन, एजेंडा-वार कार्यवाही का सारांश, अंतिम रूप देने से पहले पंचायत पदाधिकारियों द्वारा कार्यवृत्त

का सत्यापन और प्रस्तावों और कार्य बिंदुओं की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। सभासार का उद्देश्य जमीनी स्तर के शासन में पारदर्शिता, दक्षता और अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ाना है। दिनांक 18-03-2026 तक, 1.17 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने बैठक कार्यवृत्त तैयार करने के लिए सभासार पोर्टल का उपयोग किया है और पोर्टल पर 2.39 लाख से अधिक कार्यवृत्त अपलोड किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अन्य राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण ग्राम पंचायतों द्वारा पारदर्शी, कुशल और नियम-आधारित खरीद की सुविधा प्रदान करता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एकीकरण ग्राम पंचायतों को पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। भाषिनी (BHASHINI) के साथ एकीकरण ई-ग्रामस्वराज की बहुभाषी पहुंच को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमान जानकारी का एकीकरण, विशेष रूप से कृषि और आपदा तैयारियों के क्षेत्रों में, समय पर निर्णय लेने में सहायता करता है।

दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, 18.03.2026 तक देश भर में 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है, और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार कार्य जारी है।

(घ) पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं में उनकी नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या' में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, 21 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिला है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान (अर्थात कुल सीटों का एक तिहाई) लागू है |

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के अपने विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से थीम 9- महिला हितैषी पंचायतें सहित जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है| पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा के लिए राज्यों को परामर्शिकाएं भी जारी की है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" नामक एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है।इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना तथा प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल विकसित करना है। 28 फरवरी 2026 तक कुल 1,05,966 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को इन मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।
